न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 50/2016 निर्णय दिनांक 12-5-26
जीसीएमएस संख्या (2016/00100)

1. भंवरगर
2. राजूगर
3. किसनगर
4. मेघगर

पिसरान स्व. भीखगर जाति गुसाई निवासीगण मलकीसर छोटा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लूणकरणसर।
2. रामगर पुत्र मुकनगर जाति गुसाई निवासी मलकीसर छोटा तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 02–06–2016
उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर

उपस्थितः–

1. श्री जयचन्दलाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्स
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 02–06–2016 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन भूमि वाके ग्राम शेरपुरा स्थित खसरा नम्बर 1105/201 तादादी 16 बीघा भूमि अपीलांटस के दादा स्व. मुकनगर वल्द सुगनगर के नाम से पुरानी कब्जा व काश्त की रिकॉर्डेड दर्ज रही है। उपनिवेशन क्षेत्र में उक्त रकबा चक 19–20 एम.के.डी. के मुरब्बा नम्बर 161/41 के किला नम्बर 5, 6, 15 व मुरब्बा नम्बर 161/49 किला नम्बर 1, 9 ता 12, 18 ता 25 तादादी 16 बीघा दर्ज हुये जिसकी सूची नम्बर 8 दादा मुकनाराम के नाम से बनी हुई है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से उक्त रकबा अराजीराज दर्ज कर दिया गया। इसलिए हको की घोषणा के लिए अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाटस ने दावा प्रस्तुत कर ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु उपरोक्त अवानी प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे जैर अपील आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया है जो आदेश विधि विरूद्ध है एवं पत्रावली पर मौजूद रिकॉर्ड की प्रत्यक्ष त्रुटि है। न्याय की मंशा के प्रतिकुल पारित होने से स्वतः शुन्य है। प्रश्नगत रकबा अपीलांट का रिकॉर्डेड स्वतः ही सूची नम्बर 8 व पूर्व के राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। मौके पर निरस्त शान्तिपूर्वक कब्जा अपीलांटस का चला आ रहा है। उपनिवेशन विभाग से राजस्व में आने पर रिकॉर्ड गिरदावरी, जमाबंदी में अपीलांट के नाम का अंकन सहवन से दर्ज नही करके रकबा अराजीराज ही दर्ज रह गया जबकि सूची नम्बर 8 में नोट अंकित कर अपीलांटस के स्व. पिता व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम विरासतन अंकन के नाम का आदेश है जिसकी पालना आगामी रिकॉर्ड तैयारी के समय सहवन से छूट गई है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अपीलाटस के पक्ष में साबित होने के बावजूद अपीलाधीन आदेश अपीलांट के विरूद्ध पारित किया गया है। अपीलाधीन भूमि निरन्तर, पुश्तैनी समय से अपीलाटस के कब्जा काश्त मे है परन्तु वर्तमान रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज होने के आधार पर स्मॉलपेच/मीडियमपेच में अन्य पड़ौसी काश्तकारो को आवंटित होकर प्रार्थीगण को बेदखली संभावित है एवं धारा 22 के तहत तावानी कार्यवाही भी संभावित है। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने के कारण अपीलाटस को अपूर्णीय क्षति होने की पूरी संभावना है। स्वतः साबित होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इसके विपरीत निष्कर्ष निकालकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। अतः अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किये कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक भूमि है। अपीलांटस का निरन्तर कब्जा काश्त साबित नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

अपील के निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा द्वारा यह विनिश्चय किया जाना है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुत्रय– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति पर विचारण करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है अथवा नही? क्या अपीलाधीन आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक त्रुटि कारित की गई है अथवा नही?

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विधि द्वारा सुस्थापित बिन्दुत्रय– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति पर विचारण किया गया।

अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश की है। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन यह रहा है कि प्रश्नगत अराजी अपीलांट के दादा के समय से निरन्तर कब्जा काश्त में चली आ रही है। रेस्पोडेन्ट प्रश्नगत अराजी से अपीलांट को जबरन बेदखल करना चाहते है। इसलिए प्रश्नगत अराजी की यथास्थिति रखी जानी आवश्यक है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रश्नगत आराजी चक 19–20 एम.के.डी. के मुरब्बा नम्बर 161/41 के किला नम्बर 5, 6, 15 व मुरब्बा नम्बर 161/49 किला नम्बर 1, 9 ता 12, 18 ता 25 तादादी 16 बीघा स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत अराजी राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज है। अपीलांट/प्रार्थी द्वारा अपने समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह तथ्य साबित होता हो कि प्रश्नगत आराजी पर अपीलांट/प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का अपीलांट/प्रार्थी अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे। जब प्रश्नगत अराजी राजस्व रिकॉर्ड में अराजीराज दर्ज है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया जिससे कि विवादित आराजी पर उसका विधिक कब्जा होना साबित हो। दस्तावेजी साक्ष्यो के अभाव में सुविधा का सन्तुलन भी अपीलांट के पक्ष में नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही होने से इसके हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 12-5-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)

राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर